

नम्बर
प्रहका
क्रम
में

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 90/24 प्रा.पत्र

1- श्री देवीलाल जं० श्री गुवाणा गाडरी निवासी - काशीरमणी कीरोडी तहसील माण्डल [नगौर]

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री बालु जं० श्री बाघु गाडरी निवासी - काशीरमणी कीरोडी तहसील - माण्डल [नगौर]
(संबंधित पक्षकारोंके)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक:- 07-05-24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काशीरमणी कीरोडी पटवार हल्का आलमारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 154, 156, 157, 166, 175, 223/4 कुल कित्ता 0.7 रकबा 1.3278 हेक्टर पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्ये आराजी मुतदायिवा के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.04.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीरमणी पटवार हल्का आलमारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 154, 156, 157, 166, 175, 223/4, 752/1 कुल कित्ता 0.7 रकबा 1.3278 हेक्टर पर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमारा को 600 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारों की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुए गुरतकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फराल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल